

कार्यालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-15385.2002/एडमि.जी-1/ इलाहाबाद दिनांकित 30.11.2022, पत्रांक संख्या-15907/एडमि.जी-1 सैक्शन/ इलाहाबाद, दिनांकित 12 दिसम्बर 2022 एवं परिपत्र संख्या-14/एडमि.डी.सैक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के प्रकाश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी में विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की जानी है।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी में सहायक लेखाकार एवं कनिष्ठ सहायक के पद पर, जिला न्यायालय एवं शासन से सेवा निवृत्त ऐसे कर्मियों की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिन्होंने सम्बन्धित विभाग में स्टेनोग्राफर, सहायक लेखाकार एवं कनिष्ठ सहायक का कार्य किया हो तथा जिसे सिविल न्यायालय या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में कार्य करने का अच्छा अनुभव रहा हो। पूर्ण में किसी मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में उपरोक्त पदों पर कार्य कर चुके सेवा निवृत्त कर्मचारीगण को प्राथमिकता दी जायेगी।

अतः उपरोक्त परिपत्रों के अन्तर्गत, उक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से सेवा निवृत्त सक्षम एवं सभी अर्हतायें रखने वाले कर्मचारीगण से, निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध-

1. पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवा निवृत्त कर्मियों की आयु-65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 2. यह पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उपलब्ध रिक्रियों के भरे जाने तक अथवा पुनर्नियुक्त सेवा निवृत्त कर्मियों के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जायेगी।
 3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्नियुक्ति कर्मियों को परिलब्धियों के रूप में, अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जायेगी। अतएव आवेदक सेवा निवृत्त, कर्मियों अपने आवेदन के साथ पेंशन प्राधिकार पत्र/पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
 4. यह पुनर्नियुक्ति, सेवा निवृत्त कर्मियों के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेखों एवं चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जायेगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवा निवृत्त कर्मियों अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षों में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे।
 5. इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवा निवृत्त कर्मियों अपने आवेदन पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ पत्र कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।
 6. इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवा निवृत्त कर्मियों अपना आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 02.12.25 के सायंकाल 4.00 बजे तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, झाँसी को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 7. इस पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी/पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, झाँसी को होगा।
- नोट- माह नवम्बर, 2025 में सेवा निवृत्त होने वाले न्यायालय कर्मियों भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस विज्ञप्ति को सूचनार्थ जिला न्यायालय, झाँसी के सूचना पट्ट तथा मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

11-11-2025.
पीठासीन अधिकारी/नियुक्ति अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी,कम्प्यूटर,जजशिप,झॉसी को माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की अधिकारिक वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी,झॉसी को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

दिनांक:14.11.2025

(मनराज सिंह)
पीठासीन अधिकारी/नियुक्ति अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झॉसी

मोटर वाहन दुर्घटना बाद न्यायाधिकरण,झाँसी में सहा०लेखाकार एवं
कनिष्ठ सहायक पद हेतु आवेदन

1. आवेदित पद का नाम----- आवेदक का स्व-प्रमाणित
फोटो
2. आवेदक का नाम-----
3. पिता/ पति का नाम-----
4. जन्म तिथि-----लिंग-----राष्ट्रीयता-----
5. आवेदन के दिनांक को आयु-----
6. अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान-----
7. सेवा निवृत्ति का दिनांक-----
(पेंशन प्राधिकार पत्र/ पी. पी. ओ. की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. स्थाई पता-----
9. पत्राचार का पता-----
10. ईमेल आई. डी.-----
11. मोबाइल नम्बर-----
12. जिला न्यायालयों से सेवा निवृत्त आवेदक की पूर्ववर्ती
पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का विवरण(स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करें)

13. क्या किसी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है? यदि हां तो विवरण
(नोटरी शपथ- पत्र संलग्न करें)

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा- पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वर्तमान में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और दिये जाने वाले राजकीय कार्य को करन में सक्षम हूँ। मैंने अपने आवेदन सम्बन्धी सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अवलोकन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार हैं। आवेदन में अंकित समस्त विवरण तथा संलग्नक सही एवं सत्य हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई सूचना गलत या झूठी पायी जाती है तो उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गयी कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांक:

स्थान-

आवेदक के हस्ताक्षर